

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68]	दिल्ली, मंगलवार, मार्च 27, 2018/चैत्र 6, 1940	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 477
No. 68]	DELHI, TUESDAY, MARCH 27, 2018/ CHAITRA 6, 1940	[N.C.T.D. No. 477

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधान सभा सचिवालय
अधिसूचना
दिल्ली, 22 मार्च, 2018

2018 का विधेयक संख्या. 02

दिल्ली विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2018

वर्ष 2017-2018 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक विधेयक।

सं. 21 (38)विनि. 1/2018/ वि. स. स. — VI वि. / 6065.—भारत गणराज्य के उनहत्तरवे वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो.—

संक्षिप्त शीर्षक

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग(संख्या 1) अधिनियम 2018 है।

₹1170,28,50,000/-का
वर्ष 2017-2018 में राष्ट्रीय
राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम(5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए ग्यारह सौ सत्तर करोड़ अठ्ठाइस लाख पचास हजार रुपयों की कुल राशि के

निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त

बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2017-2018 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी।

विनियोजन

3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची
(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

(₹ हजारों में)

निम्नलिखित से अनाधिक राशियाँ

अनुदान संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचितनिधि परभारित	योग
1	2		3	4	5
2	सामान्य प्रशासन	राजस्व	300	150	450
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	400	15000	15400
4	वित्त	राजस्व	600	0	600
5	गृह	राजस्व	740300	0	740300
6	शिक्षा	राजस्व	3400	5300	8700
		पूँजी	450000	0	450000
7	चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य	राजस्व	1900	100	2000
		पूँजी	500	0	500
8	समाजकल्याण	राजस्व	8003900	0	8003900
		पूँजी	1044900	0	1044900
9	उद्योग	राजस्व	500	0	500
10	विकास	राजस्व	1300	200	1500
11	शहरी विकास और लोक निर्माण	राजस्व	1432800	0	1432800
	योग		11682100	20750	11702850

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 29 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 30 (1) (क) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचितनिधि परभारित व स्वीकृत व्यय को वहन करने के लिए आवश्यक धन राशि के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से विनियोजन की व्यवस्था के लिए दिल्ली विनियोग अधिनियम 2018, विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

मनीश सिसोदिया
उप-मुख्य मंत्री / वित्तमंत्री

दिल्ली
22 मार्च, 2018

विधायी शक्ति प्रदान करने संबंधी ज्ञापन

दिल्ली विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2018 का उद्देश्य किसी अधीनस्थ अधिकारी को अतिरिक्त विधायी शक्तिप्रदान करना नहीं है।

सी. वेलमुरुगन, सचिव

LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd March, 2018

BILL No. 02 of 2018

THE DELHI APPROPRIATION (No.1) BILL, 2018

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2017-2018.

No. 21 (38)/Apprn, 1/2018/LAS-VI/Leg./6065.—Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty Ninth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No.1) Act, 2018.

Issue of ₹1170,28,50,000/-from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2017-2018.

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of rupees Eleven Hundred Seventy crore Twenty eight Lakh Fifty Thousand only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2017-2018 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE
(See sections 2 and 3)

(₹ In thousands)
SUMS NOT EXCEEDING

Demand No.	Services and Purposes		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
1	2		3	4	5
2	General Administration	Revenue	300	150	450
3	Administration of Justice	Revenue	400	15000	15400
4	Finance	Revenue	600	0	600
5	Home	Revenue	740300	0	740300
6	Education	Revenue	3400	5300	8700
		Capital	450000	0	450000
7	Medical and Public Health	Revenue	1900	100	2000
		Capital	500	0	500
8	Social Welfare	Revenue	8003900	0	8003900
		Capital	1044900	0	1044900
9	Industries	Revenue	500	0	500
10	Development	Revenue	1300	200	1500
11	Urban Development and Public Works	Revenue	1432800	0	1432800
		Capital	1300	0	1300
	Total		11682100	20750	11702850

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Delhi Appropriation (No1) Bill, 2018 is introduced in pursuance of sub-section (I) of section 29 read with clause (a) of sub-section (1) of section 30 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (1 of 1992) to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and the grants voted by the Legislative Assembly for the expenditure of Government of National Capital Territory of Delhi for the financial year 2017-2018.

MANISH SISODIA

Dy. Chief Minister / Finance Minister

Delhi
22nd March, 2018

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Delhi Appropriation (No.1) Bill, 2018 does not seek to confer any additional power of legislation on any subordinate functionaries.

C. VELMURUGAN, Secy.